शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 मई 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

भारतीय ग्रामीण सामाजिक जीवन के परिवर्तित स्वरूप

गोल्डी चुटेल (शोधार्थी)
समाज शास्त्र
माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय
इन्दौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

भारतीय ग्रामीण सामाजिक जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तित सामाजिक जीवन में जहाँ एक ओर भौतिक सुख साधनों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, रहन-सहन के स्तर में सुधार और मूलतः मानव के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, परिवर्तन के सकारात्मक पक्ष हैं, वहीं भारतीय परम्परागत सामाजिक सद्भाव, आदर्श नैतिक स्तर और सांस्कृतिक मान्यताओ का निरन्तर ह्रास परिवर्तित सामाजिक स्वरूप में परिवर्तन के नकारात्क पक्ष हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी द्वंद्वात्मक स्थिति पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

गांवो की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। कृषि के परम्परागत माध्यमो का स्थान वर्तमान में कृषि के नवीन औजार उपकरण उत्तम बीज, रसायनो, उर्वरको एंव सिचांई के नवीन साधनो ने ग्रहण कर लिया है। इससे किसान को श्रम कम करना पड़ता है तथा उत्पादन प्रति एकड़ भी बढ़ा है। इससे कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। इसके साथ वर्तमान में किसान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी जुड़ गया है। किसान अपनी उपज की बिक्री नगर की मण्डियो में करता है। यातायात के साधनो के विकास के कारण किसान उत्पादन उपभोग एवं व्यापार के लिए अन्य क्षेत्रो पर निर्भर होने से व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि हुई है अतः आर्थिक समृद्धि के कारण ग्रामो का जीवन स्तर ऊँचा उठा है। आवश्यकता इस बात की है कि परिवर्तन मे सकारात्मक पक्ष को सुदृढ़ बनाया जाय तथा भारतीय इतिहास व संस्कृति को प्रभावी ढंग से ग्रामीण समक्ष रखने हेतु विविध कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास में वृद्धि की जा रही है।

भारत जैसे कृषि-प्रधान देश की विशाल जनसंख्या के लिए महत्वूपर्ण आवश्यकता कृषि भूमि की है। इस सम्बन्ध में भारत की स्थिति काफी सन्तोषजनक है। परती भूमि को शामिल करते हुए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कृषि भूमि का भाग 50 प्रतिशत के लगभग है, जबकि सारे विश्व के लिए कृषि भूमि क्षेत्र का अनुपात केवल 32 प्रतिशत ही है। अनुकूल स्थिति के बावजूद देश में कृषि उत्पादन की मात्रा पर्याप्त नही है। कृषि-उत्पादन में भारी वृद्धि लाया जाना जरूरी है, ताकि इसके लिए बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके। इस कार्य के लिए कृषि भूमि क्षेत्र में विस्तार लाना न्यायसंगत होगा। एक तो देश में इसके लिए भूमि बहुत सीमित है। दूसरे नई भूमि को कृषि योग्य बनाने में बड़े पैमाने पर पूंजी लगानी होगी। यही नहीं बल्कि इस कार्य में बहुत लम्बा समय लगेगा। अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें मूल रूप से भूमि-उत्पादन मे तेजी

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 मई 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

से वृद्धि लानी होगी। इसके लिए एक महत्वपूर्ण उपाय सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि लाने से सम्बन्धित है और भाग्यवश देश मे इसके लिए व्यापक क्षेत्र उपलब्ध है। इस सुविधा के फलस्वरूप देश में बहुफसली खेती को बढ़ावा मिल सकेगा दूसरे भूमि की उर्वरता बनाए रखने व बढ़ाने के उद्धेश्य से अच्छी खाद व पोषक तत्वो के इस्तेमाल भू-संरक्षण कार्यक्रम आदि को प्रोत्साहन देना होगा। तीसरे उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमे उपयुक्त तकनीक और तौर-तरीको को अपनाना होगा। इस सन्दर्भ मे हमे छोटे किसानों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। इन अनेक सुझावों के आधार पर भूमि प्रबंधन के द्वारा विकास के नवीन लक्ष्य निर्धारित किए जा सकेंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

भारत तीव्र आर्थिक विकास के साथ विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। किन्तु इस विकास के साथ-साथ असमानताएं भी उसी के अनुरूप बढ़ रही हैं। खास कर ग्रामीण क्षेत्रो में। ग्रामीण क्षेत्रो में गरीबी बेरोजगारी, असमानता के साथ कृषि क्षेत्र मे पिछड़ापन लगातार एक चुनौती बनती जा रही है। तीव्र आर्थिक विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम पंचायती राज संस्था है। इसे ध्यान में रखते हुए 2007 में ग्रामीण व्यापार केन्द्र योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य रोजगार के साधनों में वृद्धि के साथ गैर कृषिगत कार्यो से आय के स्त्रोत निर्मित करना, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को गति देना था। आरम्भ में इस योजना में 35 जिलों का चयन किया गया। इस योजना को दो तरह से लाभ मिलने की संभावना थी- पहला ग्रामीण विकास और दूसरा ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। ग्राम पंचायत संस्था सम्पूर्ण नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करती है। देखा गया कि पंचायती राज संस्था में महिलाओ की भागीदारी काफी कम रही है। इसे ध्यान में रखते हुए 2009 में पंचायती राज मंत्रालय की ओर से 110 वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जो कि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था सीटें और अध्यक्ष के पद महिलाओ के लिए आरक्षित किये गए। वर्तमान मे देखें तो 28.18 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियो में 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। हालांकि जागरूकता और महिला शिक्षा के प्रसार से इस दिशा मे लगातार उत्साहजनक नतीजे देखने को मिल रहे है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओ आदि में नारी सशक्तिकरण के अनुकूल प्रयासो से भी इसमे काफी प्रगति देखी जा रही है। पंचायती राज मंत्रालय इन उपायों के अलावा पंचायतो के सशक्तिकरण और विकास के लिए अन्य तरीको और योजनाओ के द्वारा भी प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों में प्रमुख हैं- पंचायतो विशेषकर ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण हेतु आवश्यक नीतिगत वैधानिक व कार्यक्रम परिवर्तन पंचायतो में अधिक कार्यकुशलता पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित करने के लिए बेहतर प्रणाली व प्रक्रिया को बढ़ावा देना व जागरूकता फैलाने के विशिष्ट उपाय आदि। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं कार्यक्रमो के क्रियान्वयन निगरानी सीधे ग्राम पंचायतो को सौप दी गई है जैसे मनरेगा इंदिरा आवास योजना आदि।

विश्व की सबसे बड़ी व महत्वाकांक्षी परियोजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना 2006 में शुरू की गई थी। इसके 6 साल बाद भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर आज

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 मई 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

काफी बदल चुकी है। आंकड़ो के मुताबिक प्रति वर्ष औसतन एक चौथाई परिवारों ने इस योजना से लाभ लिया है। यह योजना वास्तविक सामाजिक समावेशन की दिशा मे भी कारगार साबित हुई है। इसके द्वारा कुल किए गए कामो में 51 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति 47 प्रतिशत महिलाओ को कार्य दिया गया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम ने ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के रूप में अपनी पहचान बनाई है। पंचायती राज संस्था के माध्यम से क्रियान्वित और संचालित होने के कारण इसने ग्राम सभा के सशक्तिकरण मे भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर महती भूमिका निभाई है। योजना की निगरानी के लिए ग्रामसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह इसमे होने वाले कामकाज और व्यय का हिसाब ले। इसने ग्राम सभा के अधिकारो को जमीनी हकीकत का रूप दिया है।

पंचायती राज संस्था आज भारतीय लोकतंत्र का आधार बनी हुई है तो केवल इसलिए क्योंकि यह स्थानीय स्वशासी निकाय है। पंचायत के सभी वयस्क नागरिक ग्रामसभा के सदस्य होते हैं और वे अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रो मे काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण संसद है तो ग्रामसभा, ग्रामीण संसद, ग्रामीण स्वशासन और नीति निर्माण के क्षेत्र में इन्हें तमाम अधिकार दिए गये हैं।

इसके साथ ही ग्रामीणो में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। किन्तु इसके अलावा कुछ समस्याएं भी विद्यमान हैं, जो इसके मार्ग में बाधक बनी हुई हैं। इन समस्याओं की चुनौतियों से निबटे बिना हम वास्तविक स्वशासन का लाभ नही ले सकेंगे।

निष्कर्ष

21वी शताब्दी मे जब कि विजन 2020 में हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कतार में खड़े होने जा रहे हैं, यह आवश्यक है कि गांव पर केन्द्रित योजनाएँ बनाई जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना आवश्यक है और इसके लिए सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना सामुदायिक विकास योजना पंचवर्षीय योजना पंचायती राज, सहकारिता तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अंत्योदय सड़क निर्माण योजना आदि कार्यक्रमों के माध्यम से भी ग्रामीण कल्याण और पुनर्निर्माण का कार्य किया। इन सबके मिले जुले प्रभाव से वर्तमान में भारतीय ग्रामो में आर्थिक विकास हुए है। इन सब कार्यक्रमो के फलस्वरूप वर्तमान समय में भारतीय ग्रामीण सामाजिक जीवन में परिर्वतन की दिशा में अग्रसर है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. पवार डॉ. रेखा, भारत में ग्रामीण समाज का परिवर्तित स्वरूप, रचना, जुलाई-अगस्त 2011

2. कुमार नीरज, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमि प्रबंधन की आवश्यकता, कुरूक्षेत्र, मार्च 2013

3. कुमार गौरव, समग्र ग्रामीण विकास के लिए ग्राम सभा सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, मई 2013